महिला समाख्या उत्तर प्रदेश
(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार)
4/13, विशाल खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226 010
Mahila Samakhya Uttar Pradesh
(Ministry of H.R.D., GoI)
4/13, Vishal Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226 010

सेवा में,

वार्डेन / पूर्णकालिक / अंशकालिक शिक्षक / शिक्षिका / शिक्षणेत्तर कर्मचारी
आच्छादित समस्त जनपद, उ0प्र0
'विहान' बालक / बालिका आवासीय विद्यालय(नर्माण श्रमिक) योजना।

पत्रांकः /म0स0वि0आ0वि0/2015–16 5'7/ दिनांक 15 दिसम्बर, 2015

विषय–'विहान' बालक / बालिका आवासीय विद्यालय(निर्माण श्रमिक) में अनुमन्य अवकाश के सम्बंध में।

महोदय / महोदया,

आप अवगत हैं कि पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए 'विहान' बालक / बालिका आवासीय विद्यालय(निर्माण श्रमिक) संचालित हैं। इन विद्यालयों में बच्चों के सीखने व गुणवत्तापरक पू0मा0 स्तर की शिक्षा निर्धारित समय में उपलब्ध कराने के लिए विद्यालय जवाब देह होगा। इन विद्यालयों की परिकल्पना में अगर बच्चे सीख नहीं पाते तो उनको जिम्मेदार नहीं माना जायेगा। बल्कि बच्चे जिस तरह से और जैसे सीखना चाहेंगे उनके लिए वैसे ही माहौल और तरीके अपनाने के लिए विद्यालय व आपको तत्पर रहना होगा। बच्चे के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक भावनात्मक व संज्ञानात्मक विकास में विद्यालय पूर्ण रूप से सहयोग और सकारात्क हो। बच्चों के संर्वागीण विकास को ध्यान में रखते हुए ये विद्यालय आवासीय बनाये गये है। जहॉ बच्चें को एक निश्चित शैक्षिक वातारण में रखकर उसे पढ़ाना है। यदि इन विद्यालयों में छोटे–छोटे पर्व / त्योहारों पर अवकाश दिया जाता है तो जहां विद्यालय का शैक्षिक वातारण व शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होगी वहीं बच्चों के ड्राप आउट होने की सम्भावनाएं बढ़ेंगी।

उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 'विहान' बालक / बालिका आवासीय विद्यालयों(निर्माण श्रमिक) में प्रत्येक पूर्णकालिक / अंशकालिक शिक्षक / शिक्षिका / शिक्षणेत्तर कर्मी को प्रत्येक शैक्षिक सत्र / वर्ष में ग्रीष्मावकाश सहित कुल 40 दिन का सामान्य अवकाश देय है।

(क) सामान्य अवकाश के दिनों का वर्गीकरण निम्नवत् है–

- दीपावली त्योहार पर कुल 10 दिन का अवकाश।
- ईद पर्व पर कुल 04 दिन का अवकाश।
- होली त्योहार पर कुल 06 दिन का अवकाश।
- वर्ष कुल 20 दिन का ग्रीष्मावकाश।

दूरभाष/Phone : 0522-2391394, 2398864
ई-मेल/E-mail : msup1@rediffmail.com
टेलीफैक्स/Tele Fax : 0522-2391394
वेबसाइट/Website : www.mahilasamakhyaup.org

सूचना Bord व Web Site पर उपलब्ध करें

(ख) उपरोक्त सामान्य अवकाश के अतिरिक्त आकस्मिक एवं अन्य अवकाश निम्नवत् अनुमन्य होंगे–

- वर्ष में कुल 14 दिन आकस्मिक अवकाश।
- शैक्षिक सत्र में अवकाश के उपरान्त विषम परिस्थितियों में कुल 10 दिन का अवैतनिक अवकाश।
- वर्ष में कुल 45 दिन का अवैतनिक मातृत्व अवकाश।

(ग) अंशकालिक शिक्षक/शिक्षिकाओं को दिन–प्रतिदिन की निम्नवत् शैक्षिक कार्यावधि होगी–

- प्रत्येक दिन शैक्षिक समय सारिणी के अनुसार प्रातः 09.00 बजे से सायं 04.00 बजे तक।
- प्रत्येक रविवार अंशकालिक शिक्षकों/शिक्षिकाओं का अवकाश रहेगा किन्तु आवश्यकतानुसार रविवार को भी कक्षाएं आयोजित करने पर शिक्षण कार्य करना होगा।
- अंशकालिक शिक्षक/शिक्षिकाओं को राज्य में निर्धारित राजपत्रित अवकाश देय होंगे किन्तु वार्डेन और राज्य सन्दर्भ व्यक्ति(श्रम)/प्रोजेक्ट कोआर्डिनेटर की सहमति से से वह उसका उपभोग करेगा/करेगी। यदि विद्यालय में कोई आवश्यक कार्य या गतिविधियां निर्धारित हैं तो उसमें सभी की सहभागिता अनिवार्य होगी।

उपरोक्त अवकाश प्रदान किये जाने हेतु समय–समय पर राज्य परियोजना कार्यालय से परिपत्र/निर्देश निर्गत किये जायेंगे, जिसके अनुसार अवकाश की तिथियां निर्धारित की जायेंगी। मातृत्व अवकाश एवं विषम परिस्थितियों में लिए गये अवैतनिक अवकाश का पूर्व अनुमोदन राज्य परियोजना निदेशक से लिया जाना अनिवार्य होगा।

भवदीया,

डा0(स्मृति सिंह)
राज्य परियोजना निदेशक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित–

1.सचिव, उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, लेखराज मार्केट, लखनऊ।
2.जिला कार्यक्रम समन्वयक, समस्त जनपद, महिला समाख्या, उ0प्र0।
3.समस्त राज्य सन्दर्भ व्यक्ति(श्रम) 'विहान' बालक/बालिका आवासीय विद्यालय(निर्माण श्रमिक) उ0प्र0।

डा0(स्मृति सिंह)
राज्य परियोजना निदेशक